

न्यायालय: प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

उपस्थित: हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली हाजीपुर।
अग्रिम जमानत आवेदन पत्र संख्या-1343 / 2026

राजेश कुमार बनाम् बिहार सरकार

हाजीपुर सदर थाना कांड संख्या-620 / 2024

अंतर्गत धारा-309(4) भारतीय न्याय संहिता।

16.07.2026

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुना। उनके द्वारा एक आवेदन दाखिल कर निवेदित किया गया है कि आवेदक को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है इसलिए आवेदक **राजेश कुमार उम्र-30 वर्ष पेसर-जितेन्द्र सिंह** के तरफ से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन प्रचालित नहीं करना चाहते हैं उसे वापस लेने की अनुमति दी जाय।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के उपरोक्त तर्कों से विद्वान लोक अभियोजक सहमत है। उभय पक्षों के तर्कों एवं उपरोक्त तथ्यों के आलोक में आवेदक के तरफ से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन सं0-1343 / 2026 वापस लिये जाने के आधार पर **खारिज** किया जाता है।

लेखापित

(हर्षित सिंह)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
वैशाली, हाजीपुर।